न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (कैम्प भोपाल) म0प्र0

R 342/BG/17 अपील/निगरानी /17

बद्री प्रसाद आत्मज स्व0श्री रामचरण
आयु वयस्क निवासी ग्राम चोपड़ाकला
विदिशा रोड तह0 हुजूर
जिला भोपाल म0प्र0 -- अपीलार्थी/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

सुनील विजय जैन
पुत्र श्री कोमलचंद्र जैन
आयु वयस्क निवासी 448,
बाग महामायी, स्टेशन रोड
भोपाल म0प्र0 -- रेस्पॉडेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

निगरानीकर्ता निम्न निवेदन करता हैः-

महोदय,

यह कि अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर तहसीलदार महोदय तह0 हुजूर के आदेश दि0 17/7/16 में पारित आदेश सुनील विजय जैन में प्रकरण क्र. 69/बी-121/15-16 ग्राम चोपडाकला विदिशा रोड भोपाल में दिये गये स्थगन आदेश से दुखी होकर यह निगरानी ठोस आधारों पर प्रस्तुत करता है।

निगरानी के तथ्य

1. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा पूर्व में अमृतलाल पुत्र श्री सदाराम से उनके स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि खसरा क्र. 178/1/4 रकवा 0.061 हे0 में से 900 वर्गफिट का प्लाट निगरानीकर्ता को श्री इमरतलाल उर्फ अमृतलाल को विक्रय कर दिया था जिस पर वह काबिज है।
2. यह कि उक्त खसरे की शेष कृषिभूमि को रेस्पार्डेट द्वारा क्रय कर ली तथा उक्त सुनील विजय जैन की शेष भूमि जो

निरंतर....2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 342–पीबीआर/2017 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.01.17	आवेदक के अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर तहसीलदार वृत्त–2 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 17–7–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के स्थगन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विवादित भूमि पर आवेदक द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य रोकने एवं मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये है, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का अभी अंतिम निराकरण किया जाना है, जहॉ आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	